



प्रेस नोट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक 17.09.2026

रोजा पुलिस की साइबर कार्यवाही, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.09.2026 को साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आदार पर मु0अ0सं0 423/26 धारा 67बी आईटी एक्ट बाबत अभियुक्त कामिल खान पुत्र इरफान खान नि0मो0 लोधीपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कामिल खान पुत्र इरफान खान, उम्र करीब 21 वर्ष को उसके निवास स्थान से दिनांक 17.09.2026 को समय 17:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कामिल खान पुत्र इरफान खान, उम्र करीब 21 वर्ष, नि0मो0 लोधीपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 423/26 धारा 67बी आईटी एक्ट, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 17.09.2026 को समय 17.35 बजे, अभियुक्त के घर मो0 लोधीपुर से ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र

उ0नि0 श्री अभिषेक

का0 रितेश कुमार